फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : भेरूसिंह | **विपक्षी : देउबाई**

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 | **पत्रावली संख्या : 37/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.09.2021

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद सं. 255/15 एवं टी.आई 150/15 को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 255/15 अनवान भेरूसिंह बनाम वक्तावरसिंह एवं टी.आई सं. 150/15 अनवान भेरूसिंह बनाम वक्तावरसिंह दिनांक 10.08.2021 को वादी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद व टी.आई. अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। चूंकि मूल पत्रावली के अवलोकन से मूल पत्रावली दिनांक 10.09.2021 को नियत थी जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के जवाब/बहस में थी। प्रकरण में वादी के अधिवक्ता श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी की मृत्यु होने से उनकी ओर से ब्रीफ के माध्यम से श्री भोजपुरी गोस्वामी पैरवी करते आ रहे हैं।

दिनांक 23.07.2021 को प्रकरण में अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई जिसमें अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में पेशी दिनांक 10.08.2021 नियत की गई। दिनांक 10.08.2021 को वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद व टी. आई. अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.08.2021 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का पेश किया जो नियत समय में हैं। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि प्रार्थी ने भोजपुरी गोस्वामी को कभी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया, पूर्व अधिवक्ता श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 10.09.2021 को नियत की गई थी, जिसकी प्रार्थी को जानकारी थी लेकिन प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रकरण को तलब करते हुए पेशी परिवर्तित कराते हुए पेशी दिनांक 10.08.2021 को ले ली गई। जिसकी सूचना वादीगण को अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा नहीं दी गई। वादी व टी.आई. अदम हाजरी में खारिज हो जाने से प्रतिवादीगण ने न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रकरण से स्थगन हटाकर विरासत का नामान्तरकरण खुलवा लिया एवं भूमि का बेचान कर दिया हैं, जिसका नामान्तरकरण विचाराधीन हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण की कोई गलती नहीं होना बताया हैं।

प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित हो चुका है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 10.09.2021 [illegible] थी, जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तलबी का प्रार्थना पत्र पेश [illegible] तलब कर पेशी दिनांक 10.08.2021 नियत कराई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:20:00 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अधिवक्ता भोजपुरी गोस्वामी ने पूर्व अधिवक्ता स्व. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी के हैसियत से पैरवी की, जिसकी सूचना अधिवक्ता को वादीगण को देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही दिया जा सकता हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादीगण को पेशी की जानकारी नहीं थी, जिस कारण वादीगण उनके अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया, जिस कारण वादीगण की अनुपस्थिति में वाद व टी.आई. अदम हाजरी में खारिज हो चुका है जिसका लाभ उठा प्रतिवादीगण द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर भूमि अन्य को विक्रय कर दी हैं। प्रकरण में वादी का हित निहित होने से न्यायहित में कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का 1,000/— अक्षरे एक हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 255/15 व टी.आई सं. 150/15 अनवान भेरूसिंह बनाम वक्तावरसिंह में आदेश दिनांक 10.08.2021 को अपास्त किया जाता हैं तथा मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:20:00 IST
Reason: SelfAttested